UPMZ050011432022

न्यायालय CIVIL JUDGE S.D.F.T.C., Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(SMT. SURABHI SHREE GUPTA), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP02504

मूलवाद संख्या–793 / 2022

धर्मपाल पुत्र भंवर सिंह, निवासी–ग्राम चन्धेडी, परगना व तहसील–बुढाना, जिला–मुजफ्फरनगर।

... वादी

बनाम

1– बिरमपाल पुत्र चौहल,

2– ओमकार पुत्र जगदीश,

निवासीगण–ग्राम चन्धेडी, परगना व तहसील–बुढाना, जिला–मुजफ्फरनगर।

... प्रतिवादीगण

निर्णय

1– पत्रावली आज वास्ते निर्णय नियत है तथा पूर्व में वादी के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना जा चुका है।

2– संक्षेप में वाद–पत्र के कथन इस प्रकार है कि वादी वाद–पत्र के अन्त में अक्षर ए0बी0सी0डी0 से दिखायी व तफसीली मकानियत का तन्हा बिला शिरकत दीगर मालिक, काबिज व दखिल है। अन्य किसी का कोई ताल्लुक वास्ता वादी के उक्त मकान से है। उक्त मकान पर वादी बजरिये मकानियत रिहायश करता है तथा पूरब में घेर वादी के भाई रामनिवास उर्फ रामपाल, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में खाली जगह व दक्षिण में आम रास्ता है। वादी के मकान के दक्षिण में वादी के घर का मेन गेट लगा हुआ है तथा मेन गेट से निकलते ही पश्चिम दिशा में तिरहा है, जिसे नक्शा–नजरी में अक्षर 'x' दे प्रदर्शित किया गया है। जिस जगह पर दक्षिण दिशा में प्रतिवादी नं0–1 का मकान है, जिसे नक्शा–नजरी में अक्षर डी0ई0एफ0जी0 से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी नं0–1 के दक्षिण में ही प्रतिवादी नं0–2 का मकान है, जो नक्शा–नजरी में अक्षर एच0आई0जे0के0 से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण सरकश किस्म के झगडालू व्यक्ति हैं। वादी के मकान के पश्चिम में नाली है, जो कि प्रतिवादीगण के घर के सामने से गुजरती है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं है तथा इस नाली से गांव का रोजमर्रा का पानी व बरसाती पानी गांव से जंगल की तरफ जाता है। प्रतिवादीगण वादी को तंग व परेशान करने की नीयत से अपने मकान के सामने की नाली व वादी के मकान पर जाने वाले

Digitally signed by SURABHI SHREE GUPTA
Date: 2025.01.13 16:09:51 IST
Reason: Judgement
Location: Civil Judge (S.D.),FTC

रास्ते की नाली को जबरदस्ती मुठमर्दी के बल पर ऊँचा करने की फिराक में लगे हुए हैं, जिससे वादी के आने–जाने वाले रास्ते पर नाली का पानी भरा रहने से वादी को अपने घर में आने–जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडेगा तथा उक्त पानी में मच्छर, कीडे पैदा होना तथा बदबू आती रहती थी, जिस कारण कोई माहमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। प्रतिवादीगण दिनांक 06–10–2022 को समय करीब 11:30 बजे दिन अपने खुद व अपने एजेन्टों द्वारा रास्ते व नाली को उखाडने आये जब वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने नाली उखाडनी चाही। वादी द्वारा विरोध करने पर नाली व रास्ते को उखाडने की धमकी देकर गये हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार कहा व कहलवाया, परन्तु वे अपनी हरकत बेजा से बाज नहीं आ रहे हैं। वाद का कारण वादी के मकान पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता होने से तथा प्रतिवादीगण का इस रास्ते से कोई ताल्लुक वास्ता न होने से प्रतिवादीगण द्वारा जबरन रास्ते को नीचा करने की धमकी देने आदि से पैदा हुआ। प्रतिवादीगण को स्वयं या अपने एजेन्टों के माध्यम से वादी की मकानियत, जिसे नक्शा वाद–पत्र में ए0बी0सी0डी0 से दिखाया गया है, के सामने एक मात्र रास्ते/सड़क व नाली, जिसे नक्शा वाद–पत्र में अक्षर 'X' से दर्शाया गया है, उसे उखाडकर या अन्य किसी प्रकार से वादी के आवागमन में कोई अवरोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न करने हेतु आदेशित करने की प्रार्थना की गयी है।

3– वादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। वादी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची 17ग से, कागज सं0–18ग वादी धर्मपाल स्वयं का साक्ष्य शपथ–पत्र तथा कागज सं0–19क गोरधन का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4– न्यायालय द्वारा दिनांक 11–08–2023 को प्रतिवादीगण पर तामीला पर्याप्त मानते हुए, दिनांक 15–03–2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

5– न्यायालय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया। पत्रावली, प्रपत्रों एवं साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

6– वादी ने न्यायालय से मात्र यह प्रार्थना की है कि प्रतिवादीगण को स्वयं या अपने एजेन्टों के माध्यम से वादी की मकानियत, जिसे नक्शा वाद–पत्र में ए0बी0सी0डी0 से दिखाया गया है, के सामने एक मात्र रास्ते/सड़क व नाली, जिसे नक्शा वाद–पत्र में अक्षर 'X' से दर्शाया गया है, को उखाडकर या अन्य किसी प्रकार से वादी के आवागमन में कोई अवरोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न करें। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर अपना पक्ष करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये। परन्तु प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर समन की तामीला पर्याप्त मानते हुए, उनके विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही को एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया। वादी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि के लिए स्वयं तथा गोरधन का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत

किया है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में पुनः वाद–पत्र के कथनों को दोहराया गया है तथा वादी ने कथनों की पुष्टि साक्षी गोरधन के साक्ष्य शपथ–पत्र द्वारा की गयी है। वादी द्वारा अपने मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में नक्शा–नजरी प्रस्तुत की गयी है, जिसका खण्डन नहीं किया गया है। वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शा–नजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के मकान का दरवाजा दक्षिण में स्थित रास्ते पर खुलता है तथा उक्त रास्ते से लगे हुए प्रतिवादीगण के मकान हैं। उक्त रास्ते व इस रास्ते पश्चिम में स्थित नाली को उखाडने से वादी को परेशनी होने की पूर्ण सम्भावना है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के कथनों का खण्डन करें, परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने में असफल रहे हैं।

7– पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों, प्रपत्रों एवं दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय यह पाती है कि वादी अपना वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित करने में सफल रहे हैं। अतः ऐसी दशा में वादी का साक्ष्य अखण्डित होने के कारण एवं संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धान्त के तहत, वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्वयं या अपने एजेन्टों के माध्यम से वादी की मकानियत, जिसे नक्शा वाद–पत्र में ए0बी0सी0डी0 से दिखाया गया है, के सामने एक मात्र रास्ते/सड़क व नाली, जिसे नक्शा वाद–पत्र में अक्षर 'X' से दर्शाया गया है, उसे उखाडकर या अन्य किसी प्रकार से वादी के आवागमन में कोई अवरोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरभि श्री गुप्ता)
दिनांकः 13–01–2025 सिविल जज (सी0डि)/त्वरित न्यायालय,
मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(सुरभि श्री गुप्ता)
दिनांकः 13–01–2025 सिविल जज (सी0डि)/त्वरित न्यायालय,
मुजफ्फरनगर।